

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>रेफरेन्स / एल.आर. / 2286 / 2006 / जयपुर</u> सरकार बनाम प्रभातीदेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य</p> <p><u>उपस्थित :</u> श्री जानी सिंह, उप राजकीय अभिभाषक। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित</p> <p style="text-align: right;">दिनांक : 04-08-2025</p> <p style="text-align: center;"><u>निर्णय</u></p> <p>यह रेफरेन्स अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 22-02-2006 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।</p> <p>रेफरेन्स प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार आमेर ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि ग्राम महेशवास कलां तहसील आमेर की आराजी खसरा नं. 479 480/2 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2010 से 23 के अनुसार माफी मन्दिर श्री गोपाल जी दर्ज रिकार्ड थी। जिसके वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2058-61 के अनुसार नवीन खसरा नं. 861, 862, 863, 864 रकबा 2.61 है0 बने है। उक्त भूमि में से 1.00 है0 भूमि माफी मन्दिर की है। सम्वत् 2010-23 की जमाबन्दी तहरीर करते समय तत्कालीन राजस्व कर्मियों द्वारा मन्दिर का नाम विलोपित करते हुए सीधे ही बल्देवा व मन्ना पि0 रूडा कौम मीना के नाम अंकित कर दी गई तथा वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः अप्रार्थीगण के नाम हटाया जाकर माफी मन्दिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।</p>	

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>रेफरेन्स / एल.आर. / 2286 / 2006 / जयपुर</u> सरकार बनाम प्रभातीदेवी</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि विवादित भूमि मंदिर मूर्ति के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी, जो बिना किसी सक्षम आदेश के अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिग है, और मंदिर मूर्ति विराजमान शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित भूमि मंदिर के स्थान पर विधि विरुद्ध तरीके से अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी बाबत अप्रार्थीगण के नाम दर्ज इन्द्राज निरस्त किये जाकर विवादग्रस्त आराजी को पुनः माफी मन्दिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावें।</p> <p>बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन व किया गया।</p> <p>पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि माफी मन्दिर श्री गोपाल जी की खातेदारी में दर्ज थी। जिसको जमाबन्दी तैयार करते समय माफी मन्दिर का नाम विलोपित कर अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई। माफी मन्दिर की भूमि का हस्तांतरण अप्रार्थीगण के पक्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हुआ है। मन्दिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पुजारी या किसी अन्य को काश्त करने से कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त नहीं होते</p>	

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>रेफरेन्स / एल.आर. / 2286 / 2006 / जयपुर</u> सरकार बनाम प्रभातीदेवी</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>है। इस प्रकार मूर्ति मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा कालांतर में जमाबंदी एवं राजस्व रिकोर्ड में बिना किसी सक्षम व विधिक आदेश के मंदिर मूर्ति की भूमि की खातेदारी समाप्त कर निजी खातेदारी में दर्ज कर दी गई, जो पूर्णतया गलत व विधि विरुद्ध है।</p> <p>राजस्व विधि में मूर्ति मंदिर को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थीगण के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरुद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। अतः विवादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत दर्ज होने से निरस्तनीय है।</p> <p>अतः यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 479 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 480/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि, जो गोपाल जी के नाम दर्ज थी, हटाकर वर्तमान खसरा नं. 861, 862, 863, 864 रकबा 2.61 है० में से 1.00 है० अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई है, उसे अप्रार्थीगण के नाम से हटायी जाकर उक्त आराजी को पुनः माफी मन्दिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला कलक्टर एवं संबंधित तहसीलदार को निर्णय की प्रति अलग से प्रेषित की जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(भवानी सिंह पालावत) सदस्य</p>	